[श्रीमती मृणाल गोरे]

प्रधान मन्त्री की बहुत अच्छी दोस्त श्रीमती सुमित्रा बैन मोरारजी रही हैं। उसी दोस्ती के आधार पर आज भी वे इस प्रकार का बर्ताव करना चाहती हैं और अपने कर्मचारियों को न्याय नहीं दिलाना चाहतीं, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए और श्री लक्ष्मी नारायण को किसी हालत में सर्विस में लेना चाहिए। उसी जगह पर उनको सर्विस में वापस लेना चाहिए। मैं चाहती हूं कि सरकार इस तरफ़ ध्यान दे।

12.39 hrs.

(iv) CLOSURE OF UNIVERSITIES AND COLLEGES DUE TO STUDENT UNREST.

श्री भगत राम (फिलोर) : अध्यक्ष महोदय, देश के कोने कोने में जो स्टूडेंट्स में अनरेस्ट फैली हुई हैं और कई यूनिवर्सिटीयां और कालेज बन्द पड़े हैं, यह सब इसलिए हो रहा है कि जो अधिकारी लोग हैं, वे स्टूडेंट्स की बात को समझ नहीं पा रहे हैं और सही ढंग से उनकी प्राब्लम को टैकिल नहीं कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक मैथड नहीं बर्त रहे हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को उकसाया जा रहा है।

मैं आप को पहली और दूसरी तारीख को मेरठ में जो स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज हुआ और वहां पर गोली चली, उसके बारे में बताना चाहता हूं। वहां के कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मुझे वहां पर बुलाया और मैं वहां पर 5 तारीख को गया था। मैं वहां पर मेरठ कालिज के प्रिंसिपल, वहां के वार्डन्स, स्टूडेंट्स और कुछ शहरियों से भी मिला और मुझे जो वहां पर बताया गया, उससे मैं कनविस्ट हूं कि पहली तारीख को जो वहां पर डी० एन० पालीटेक्नीक, प्रतापर में स्टूडेंट्स में थोड़ा सा अनरेस्ट था, मामूली सा झगड़ा था, पुलिस उसको हल करने के लिए तैयार थी लेकिन वहां के जो डी० एम० हैं, वे जब वहां पर आए, तो उन्होंने आर्डर दिया कि स्टूडेंट्स पर लाठी चलाई जाए। बिना कोई वार्निंग दिये स्टूडेंट्स पर वहां पर लाठी चलाई गई और उसके बाद उन पर गोली का आर्डर दिया और बिना वार्निंग के गोली चली। बहुत से स्टूडेंट्स को पीटा गया। मैंने एक ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जिसके हाथ में पहले ही चोट लगी थी। बसों में चढ़ते हुए स्टुयुडेंट्स को पीटा गया, रेलवे स्टेशन पर स्टुयुडेंट्स को पीटा गया। यही नहीं जो स्टूडेंट्स अपने माता-पिताओं के साथ खेतों में काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया।

वहां के स्टुडेंट लीडर्स एक डेपुटेशन ले कर डी० एम० से मिलने गए। डी० एम० ने उनसे मिलने से इन्कार कर दिया। यही नहीं उनको गिरफ्तार किया गया। उन पर लाठीचार्ज किया गया और बड़ी बेरहमी से पीटा गया।

एक होस्टल में पुलिस घुस गई और बिना प्रिंसीपल और कालेज के अधिकारियों की इजाजत के उसमें घुसी। उसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स स्टूडेंटस रहते थे। मैंने स्वयं वहां जा कर देखा है कि किस बेरहमी के साथ वहां पर पुलिस ने स्टयुडेंट्स को पीटा है। दरवाजे और चटखनियां कमरों की टूटी पड़ी थीं। किसी का हाथ टूटा था, किसी की टांग पर जख्म था। बहुत-सा सामान उनका इधर-उधर बिखरा पड़ा था। लड़कों का सामान लूटा गया, लड़कों के कपड़े खून में लथपथ थे। खून में लथपथ कुछ कपड़े मैं यहां लाया हूं जो कि आपको यहां सदन में दिखाना चाहता हूं। यह खून से लथपथ कमीज जो मैं आप को दिखा रहा हूं एक मिल्ट्री साइंस के लेक्चरार की है।

मुझे बाद में दूसरे होस्टल के बारे में भी बताया गया। वहां पर भी पुलिस गई थी। वहां का फाटक तोड़ने की पुलिस ने कोशिश की लेकिन वहां फाटक टूटा नहीं। अगर उस होस्टल का फाटक टूट जाता तो पुलिस अन्दर घुस जाती। दूसरे होस्टलों के बारे में भी मुझे

ऐसा बताया गया कि पुलिस ने उन होस्टलों में भी घुसने की कोशिश की लेकिन उसे वहां घुसने की इजाजत नहीं दी गई। अगर पुलिस इन होस्टलों में भी घुस जाती तो किस तरह का व्यवहार वहां के लड़कों के साथ करती, यह आप जानते हैं।

उसके बाद में जेल चला गया। वहां पर मैंने एक स्टुडेंट के हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ देखा। कुछ लड़कों के शरीर पर चोटों के निशान थे। वहां पर जो कुछ स्टुडेंट्स के साथ हुआ है, वह सब नहीं होना चाहिए था। कोई ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न नहीं हुई थी जिसे बातचीत से हल नहीं किया जा सकता हो।

वहां के अधिकारियों ने जो वहां के स्टुडेंट्स के साथ बिहेवियर किया है इसकी पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिए। आज जब कि सरकार डेमोक्रटिक ढंग से चलने का दावा करती है उस समय भी स्टूडेंट्स के साथ वैसे ही जुल्म हों जैसे कि एमर्जेंसी में होते रहे थे यह अच्छा नहीं है। जो अधिकारी एमर्जेंसी के दौरान जुल्म करते रहे, वही अब फिर आगे होकर कुछ कर रहे हैं, वह स्ट्युडेंट्स के अधिकारों को छीन रहे हैं। इसलिए मेरी अपील सरकार से है कि स्ट्युडेंट्स के साथ डेमोक्रेटिक ढंग से पेश आए और आधिकारी लोग भी उनके साथ ठीक ढंग से व्यवहार करें।

12.44 hrs.

PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL—*contd.*

MR. SPEAKER: We shall now take up further consideration of the Payment of Bonus (Amendment) Bill. There are a large number of persons who want to speak. So, Shri Saugata Roy may kindly be brief.

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): I am speaking from our party's time only. While speaking yesterday, I had occasion to congratulate the hon. Minister for bringing forward the Ordinance. I shall not repeat what I said then but in order to preserve continuity. I shall recapitulate one or two points. I mentioned that along with other workers, Railways, Ordinance factories, P & T and CPWD should also be considered industrial workers and should be paid bonus. I also objected to the amendment under which section 34(3) had been deleted. And the employees' right for a negotiated settlement in excess of amounts calculated from the allocable surplus—that is gone. I also sought for the right of the employees and the warkers to ask for the accounts of the Company in case they were not satisfied with the Balance Sheets that were provided by the Company. The point is that the Minister has done a very good thing by this restoration of bonus, which was a right earned by the workers after a long and tremendous struggle. But as I said, the Minister in spite of restoring bonus, has not been full hearted in his approach because the Janata Party manifesto had pointed out that bonus should be a deferred wage. But nowhere either in the Minister's speech or in the statement of Objects and resons of the Bill, has it been mentioned that bonus is a deferred wage. I am saying this because if bonus is really to be a deferred wage, then bonus should become the first charge on the company along with salaries and wages which are not given after calculating the allocable surplus on the profit sharing basis. I want to press this further because when the original payment of Bonus Act came in 1965, at that time, the concept of deferred wage was not there. It was conceded that Bonus will be given to workers as part of the share of the profits of the undertakings and at that time it was also conceded that bonus was meant mainly for private sector industrial undertakings. So, the whole Bonus Act, which was originaly promulgated in 1965 and to which subsequent modifications and amendments were made, is based on an entirely wrong presumption. After the Bonus Commission came out with